कार्यालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 261/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
प्रवीण पुत्र नेमाराम नायक निवासी– रूंगडी, तहसील रानी, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब, तहसीलदार, खिवाडा, तहसील रानी जिला पाली। 2. तहसीलदार रानी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 31.03.2021 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा अपील संख्या 08/2021 अनवान प्रवीण बनाम राज0 सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री धनपत चौधरी,, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31 जुलाई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गांव रूंगडी के ख0सं0 40 रकबा 0.04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है एवं उक्त आराजी में अपना रहवासीय धोरा लगातर बाडा व पक्का मकान मय झोपडी बनी हुई है जो कि काबिल नियमन बहक अपीलान्ट के है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट उप तहसीलदार, खिवाडा के समक्ष पेश की गई जिस पर उप तहसीलदार, खिवाडा के द्वारा प्रकरण संख्या 30/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर अपीलान्ट दिनांक 3.9.20 को उनके समक्ष उपस्थित हुआ लेकिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर व अपना जबाब पेश करने का अवसर दिये बगैर ही उसी दिनांक 3.9.2020 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को कब्जाशुदा भूमि से बेदखली के साथ 50/– रूपया जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील संख्या 8/2021 अति0 जिला कलेक्टर पाली न्यायायल के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश 31.3.2021 के द्वारा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की हैं।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विपरित होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विश्लेषण, विवेचन एवं परिशीलन नहीं किया है जिससे सही निष्कर्श नहीं निकाला जा सका। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट अनुसूचित

जनजाति का होने व उक्त खसरान संख्या 40 की रकबा भूमि पर अन्य अतिक्रमी स्वर्ण जाति के होने की अवस्था में द्वेष भावना से अपीलान्ट के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है जबकि अपीलान्ट के अलावा अन्य स्वर्ण जातियों के व्यक्तियों का भी कब्जा व मकान निर्मित हो रखे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध ही कार्यवाही की है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ना0 तहसीलदार न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को जवाब पेश करने, दस्तावेज पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है और आदेशिका में भी कांट–छांट की गई है, ऐसी अवस्था में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर ही केवल मात्र हस्ताक्षर करवाकर भेज दिया गया एवं निर्णय के सम्बन्ध में कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.1.2021 को पटवारी हल्का के द्वारा दी गई, तब हुई। अपीलान्ट का पूर्व से यानि संवत 2012 से पूर्व से ही पिताजी के समय से निरन्तर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सर्वप्रथम धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट भूमिहीन होने, उसका कदीमी कब्जा होने व उसमें निवास करने की अवस्था में भूमि नियमन योग्य होने के बावजूद भी अपीलान्ट को जुर्माने से आरोपित कर बेदखली का आदेश ना0 तहसीलदार व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है वो विधि विरूद्ध है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि सोची समझी साजिश के आधार पर धारा 91 की कार्यवाही कर आराजी पर से अपीलान्ट द्वारा कब्जा हटा दिये जाने व कब्जा सुपुर्द करने की अवस्था में उक्त भूमि पर कजा नहीं होने की स्थिति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा गया है। जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त के है। इसके अतिरिक्त धारा 91 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई और विधि विरूद्ध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में मौका फर्द तैयार की गई, जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी मौका फर्द कब्जा सुपुर्दगी के आधार पर अपीलाधीन आदेश को यथावत रख दिया गया है। अपीलान्ट को आदतन अतिचारी होना बताया है जो गलत है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील पारित निर्णय दिनांक 3.9.2020 एवं 31.3.2021 को निरस्त फरमावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ना0 तहसीलदार के द्वारा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी होना मानते हुए उसे राजकीय भूमि से बेदखल करने तथा जुर्माना अधिरोपित करने का जो आदेश पारित किया गया है। साथ ही अपीलान्ट की प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समग्र विवेचन करते हुए ही अपीलान्ट की उक्त अपील अस्वीकार की गई है। ऐसे में दोनों अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.9.2020 एवं 31.03.2021 का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 10.7.2023 अनुसार प्रवीण पुत्र नेमाराम जाति नायक का ग्राम रूगडी के ख0सं0 40 में 0.0688 हैक्टर भूमि पर कांटे डालकर कब्जा किया हुआ है। उक्त मौका रिपोर्ट में ख0सं0 40 में दलपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, पन्नेसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, ओमसिंह पुत्र मंगलसिंह, जालमसिंह पुत्र रामसिंह वगैराह का भी कब्जा पाया गया है। उक्तानुसार कब्जा चूंकि अस्थाई प्रकृति का है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है, लिहाजा अगर अन्य समान प्रकृति के अस्थाई अतिक्रमियों के विरूद्ध तहसीलदार, रानी द्वारा कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है तो उनके विरूद्ध भी समान रूप से कार्यवाही की जावें।

अतः उक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 8/2021 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *